760, 761, व 763 सम्वत 2006 से सम्वत 2020 तक बारानी दर्ज रहा है तथा जिसे अन्य खसरा नम्बरों के साथ मिलाकर नया खसरा नम्बर 1073 दौरान बंदोबस्त बनया गया है। उक्त खसरान की भूमि उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार नदी, तालाब, पायतन , अंगोर की भूमि नही रहकर काबिज काश्त की भूमि रही है। नकल खतौनी बन्दोबस्त सम्वत 2020 के अनुसार ख.न. 1073 रकबा 194.16 बीघा किस्म बारानी अव्वल दर्ज है। तहसीलदार जायल की रिपोर्ट के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह साबित होता है कि भू-प्रबंध के दौरान प्रार्थी की खातेदारी भूमि मीन खसरा नम्बर 760, 761, व 763 से बने नये साबिक ख.न. 1073 तथा नये ख.न. 1998/1073 पर लगाया गया नोट गलत अंकन किया गया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रार्थी के पुस्तैनी ख.न. 1073 जो कि 760, 761, 763, 765, 769, 770, 767, 768, 766, 759 व 764 से बना है जिसमें से ख.न. 764, 769 गै.मु. भूमि होकर नाकाबिल काश्त की भूमि भी दर्ज रही है। जिस बाबत सम्भवतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा प्रकरण अब्दुल रहमान बनाम सरकार मे पारित निर्णय से प्रभावित होने पर रेफरेन्स दर्ज होकर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर प्रेषित किये हुये है। प्रार्थी की भूमि भी ख.न. 1073 में सम्मिलित रही है जिस पर अब्दुल रहमान से प्रकरण प्रभावित होने का नोट अंकित है। अपितु प्रार्थी का खेत ख.न. 1998/1073 साबिक खसरा नम्बार 760, 761, व 763 से बना है जो कि प्रार्थी की पुस्तैनी भूमि होकर काबिज काश्त की भूमि रही है जों इस नोट के अंकित होने से प्रार्थी अपनी जोत पर सुधार कार्य व सरकारी सहुलियत लेने से वंचित हो गया है। इस प्रकार गलत नोट के अंकन करने से प्रार्थी परेशान है तथा कानूनी अड़चनों से प्रार्थी को परेशान करने का कोई आधार ही नही है जो कि तहसीलदार जायल की रिपोर्ट से प्रथम दृष्टया प्रमाणित होता है। अतः न्यायालय के मतानुसार प्रार्थी की खातेदारी में अंकित अब्दुल रहमान से संबंधित नोट माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान द्वारा ख.न. 1073 के साबिक खसरान से संबंधित रेफरेन्स में पारित होने वाले आदेश के अध्यधीन रखते हुये वर्तमान में ख.न. 1998/1073 पर से उक्त नोट हटाये जाना उचित प्रतित होता है।

–: : आदेशः : –

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 आर.एल.आर. एक्ट, अधीन धारा 88 आर.टी.एक्ट के स्वीकार किया जाकर मौजा डुगोली के खेत ख.न. 1998/1073 रकबा 4.6377 हेक्टेयर पर अंकित पेन्सिल नोट "अब्दुल रहमान प्रकरन से प्रभावित" को हटाये जाने का आदेश दिया जाकर तहसीलदार जायल को रिकॉर्ड दुरस्त किया जाकर राजस्व रिकॉड मे अमल दरामद किया जावे। यह आदेश अराजीयात भूमि के संबंध में रेफरेन्स दर्ज होने की स्थिति में रेफरेन्स में पारित होने वाले निर्णय के अध्यधीन रहेगा।

आदेश आज दिनांक 23/01/2023 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश ...)
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल (नागौर)